अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 212 सन् 2015

राम दयाल राय व अन्य.....वादीगण
बनाम
मंगल राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
26.08.2019

उभय पक्षों की पैरवी की गई। अभिलेख को वादीगण के आवेदन दिनांक 28.09.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रस्तुत आवेदन में वादीगण का कहना है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 6 से 10 द्वारा दिनांक 18. 05.2018 को अपना लिखित कथन दाखिल किया गया जिसमें जिसकी कंडिका 10 में उनका कथन है कि (छतरी राउत) वगैरह बजरिय निबंधित बैनामा दिनांक 08. 09.1941 को खाता सं0 60 सर्वे सं0 490,494,496 एवं 495 के संबंध में बैनामा किया है एवं उक्त बैनामा का न्यायहित में अवलोकन करना जरूरी है, किंतु प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन के कंडिका 10 में वर्णित कागजातों को अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया जाए कि कंडिका 10 में वर्णित बिक्री–पत्र की छायाप्रति अभिलेख पर दाखिल करें, ताकि वादीगण उनका

अवलोकन कर सके। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया अतः उन्हें प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया गया।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद बिन्दु निर्धारण हेतु लंबित है अतझः दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद बिन्दु निर्धारण के पूर्व अपने–अपने दावों के संबंध में अपना कागजात दाखिल करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09.09.2019

सब जज
सोनपुर सारण।